Translated Copy

सं. 13011(5)/3/2022-डीपी-1
भारत सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
******

शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001
दिनांक: 21 फरवरी, 2023

कार्यालय ज्ञापन

विषय: उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 – संस्थानों में शिकायत अधिकारी की नियुक्ति।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निर्देश हुआ है कि मंत्रालय ने अधिक समावेशी समाज बनाने के उद्देश्य से "उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019" लागू किया है और इसके प्रावधान 01 जनवरी, 2020 को लागू हुए (प्रतिलिपि संलग्न)। यह अधिनियम, अन्य बातों के साथ-साथ, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को स्वयं लिंग पहचान का अधिकार, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, रोजगार और शिक्षा में भेदभाव न करने का अधिकार तथा अन्य कल्याणकारी उपाय प्रदान करता है।

2. आपको सूचित किया जाता है कि अधिनियम की धारा 11 के अनुसार प्रत्येक संस्थान को अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों से निपटने के लिए एक व्यक्ति को शिकायत अधिकारी के रूप में नामित करना होगा। यद्यपि यह अधिनियम जनवरी 2020 में ही अस्तित्व में आ गया था, फिर भी यह पाया गया है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार या यहां तक कि कॉर्पोरेट क्षेत्र के अधिकांश कार्यालयों ने अधिनियम में की गई परिकल्पना के अनुसार ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से संबंधित शिकायतों से निपटने के लिए शिकायत अधिकारी की नियुक्ति नहीं की है।

3 अत: यह अनुरोध किया जाता है कि सरकारों और कॉर्पोरेट क्षेत्र के सभी संस्थान समुदाय के खिलाफ पूर्वाग्रहों का मुकाबला करने के लिए अपने प्रशासनिक नियंत्रण के तहत प्रत्येक संस्थान में शिकायत अधिकारी नियुक्त करने के लिए तत्काल कदम उठाएं।

4. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(शांतनु दीक्षित)
सहायक निदेशक (डीपी प्रभाग)
ईमेल-: dixit.shantanu@nic.in

सेवा में,

1. सचिव, भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
2. मुख्य सचिव, सभी राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र
3. कारपोरेट कार्य मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने के अनुरोध के साथ कि देश के कारपोरेट क्षेत्र में इसका अनुपालन किया जा रहा हो।